राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

(1) अपील संख्या–6403/2022 एवं
(2) अपील संख्या–2716/2021

विनय कुमार मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सहायक शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशा.) कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सहायक अभियंता, जल संसाधन उपखण्ड, हिण्डोन जिला करौली।
6. घनश्याम सिंह, कनिष्ठ अभियंता, चंवली बाई मुख्य नहर, उपखण्ड द्वितीय रायपुर, जिला झालावाड।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 06.01.2023

उपस्थित

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राज.अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी संख्या–6 की ओर सेः श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उक्त वर्णित दोनों अपीलें एक ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी है एवं दोनों अपीलें पारस्परिक सम्बन्धित है, ऐसे में दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
2. अपील संख्या 2716/2022 के अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 24.07.2022 (अनुलग्नक–1 व 4) से व्यथित होकर उक्त अपील प्रस्तुत की है। उक्त अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–6 को आदेश दिनांक 30.09.2021 के द्वारा जल संसाधन उप खण्ड सपोटरा से चंवली बाई मुख्य नहर उप खण्ड द्वितीय, रायपुर झालावाड में पदस्थापित किया गया था तथा 9 माह की अवधि में ही

अनुचित रूप से समायोजित करने के आशय से आलोच्य आदेश दिनांक 05.07.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–6 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया तथा अपीलार्थी का किसी भी सक्षम अधिकारी के आदेश द्वारा स्थानान्तरण नहीं किया गया तथा नोट संख्या–1 में जिन कनिष्ठ अभियंताओं का पदस्थापन नहीं किया गया है, उनको आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया है तथा उक्त स्थानान्तरण आदेश के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–5 को आदेशों की प्रतीक्षा में पदस्थापन करने के निर्देश दिये गये हैं, जो अवैध व अनुचित तथा विधि विरूद्ध है।

3. उक्त अपील में यह भी अंकित किया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 24.07.2022 के द्वारा अपीलार्थी को नॉन एप्लीकेशन माईंड से आदेशों की प्रतीक्षा में मानते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम के कार्यो के अन्तर्गत जयपुर में पदस्थापित किया गया है, जो एक तरह से अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति है। प्रतिनियुक्ति किसी भी कार्मिक की बिना सहमति से नहीं की जा सकती है। उक्त आलोच्य आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के उमापति बनाम सरकार व अन्य प्रकरणों में प्रतिपादित निर्णयों के विपरीत है। आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम में किया गया है, जो राज्य सरकार का विभाग नहीं है। उनका यह भी कथन है कि माननीय अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 22.08.2022 पारित करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 24.07.2022 की क्रियान्विति को अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया और यह भी आदेश पारित किया गया कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था। अतः उक्त आधार पर अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 24.07.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक निरस्त किया जाए।

4. अपीलार्थी ने पुनः एक अपील संख्या 6403/2022 प्रस्तुत की, जिसमें अपीलार्थी ने पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 06.10.2022 को चुनौती दी है। इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि पूर्व में अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश पारित करने के पश्चात दिनांक 27.09.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में किया गया और अपीलार्थी को

पुनः जल संसाधन उपखण्ड हिण्डोन सिटी में पदस्थापित किया गया था, परन्तु बाद में आलोच्य आदेश दिनांक 06.10.2022 के द्वारा पुनः निजी प्रत्यर्थी को जल संसाधन उपखण्ड हिण्डौन सिटी में अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया और अपीलार्थी को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखा जाना गलत है, जो राजस्थान सेवा नियमों के नियम 25 क के विरूद्ध है। जबकि पूर्व में अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया गया था। इसके पश्चात भी अपीलार्थी को पुनः पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में किया गया है, जो अनुचित व अवैध है। ऐसे में आलोच्य आदेश दिनांक 06.10.2022 व 28.11.2022 को अपास्त किया जावे।

5. इस अपील में निजी प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश दिनांक 22.08.2022 पारित होने से पूर्व ही निजी प्रत्यर्थी ने हिण्डोन सिटी में कार्यभार ग्रहण कर लिया था, परन्तु बाद में अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश पारित करने पर आदेश दिनांक 27.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी को पुनः हिण्डोन सिटी में पदस्थापित किया गया और निजी प्रत्यर्थी को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में किया गया। जिस पर निजी प्रत्यर्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–14706/2022 घनश्याम सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रस्तुत की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.09.2022 को यह अंतरिम आदेश दिया था कि आदेश दिनांक 27.09.2022 की क्रियान्विति अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रहेगी और अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखने के निर्देश दिये गये थे। माननीय उच्च न्यायलय के उक्त आदेश के पश्चात दिनांक 06.10.2022 को राज्य सरकार द्वारा आदेश पारित कर निजी प्रत्यर्थी को हिण्डोन सिटी में पदस्थापित रखा गया और अपीलार्थी को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में किया गया।

6. उनका यह भी कथन है कि राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें आदेश दिनांक 06.10.2022 की प्रति प्रस्तुत की गयी थी। उक्त आदेश दिनांक 06.10.2022 के दृष्टिगत निजी प्रत्यर्थी ने अपनी याचिका विड्रा कर ली, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से निजी प्रत्यर्थी को हिण्डोन सिटी में पदस्थापित रखा गया था। निजी प्रत्यर्थी का यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थी हिण्डोन सिटी में वर्ष 2019 से कार्यरत है, ऐसे में अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी को

पदस्थापित किये जाने का आदेश विधि विरूद्ध नहीं है। उक्त आधार पर निजी प्रत्यर्थी ने अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

7. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर प्रशासनिक कारणों से किया गया है। सिंचाई सेवा सरकार की जनहित सेवा है। राज्य सरकार की प्राथमिकता जन सेवा से जुडी है, इसलिए अपीलार्थी को जनहित में राज्य में कहीं भी किसी भी स्थान पर जरूरत के अनुसार पदस्थापित किया जा सकता है। अतः अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी मय स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

8. हमने उभय पक्षकारों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

9. अपीलार्थी द्वारा पूर्व में अपील संख्या–2716/2022 में आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 24.07.2022 (अनुलग्नक 1 व 4) को चुनौती दी गई थी, जिनके द्वारा अपीलार्थी को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में व कार्य व्यवस्थार्थ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम जयपुर में पदस्थापित किये जाने के आदेश पारित किये गये थे, जिसमें इस अधिकरण द्वारा दिनांक 22.08.2022 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था एवं यह भी आदेश दिया गया था कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 05.07.2022 के द्वारा जल संसाधन उप खण्ड हिण्डोन सिटी में किया गया, जिस पर निजी प्रत्यर्थी ने हिण्डोन सिटी में कार्य ग्रहण किया। इस प्रकार हिण्डोन सिटी में दो कार्मिक कार्यरत हो गये, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने इस अधिकरण के स्थगन आदेश पारित होने के पश्चात आदेश दिनांक 27.09.2022 पारित किया, जिसमें अपीलार्थी को पुनः जल संसाधन उपखण्ड हिण्डोन सिटी में निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर लगाया गया। इस आदेश को निजी प्रत्यर्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने निजी प्रत्यर्थी को पुनः हिण्डोन सिंटी में पदस्थापित करने का अंतरिम आदेश पारित किया। जिस पर निजी प्रत्यर्थी को हिण्डोन सिटी में लगाया गया और अपीलार्थी को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में किया गया।

10. उपरोक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि इस अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश के उपरान्त सर्वप्रथम निजी प्रत्यर्थी को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में किया गया और उसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात अपीलार्थी को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में किया गया। इस अधिकरण ने पूर्व में पारित आदेश दिनांक 22.08.2022 में यह माना कि कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापित किया जाना उचित नहीं है व इस आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी ने दूसरी अपील संख्या 6403/2022 प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 06.10.2022 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को पुनः पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के पारित होने के पश्चात वर्तमान में करीब दो माह का समय पूर्ण हो चुका है। परन्तु अपीलार्थी के सम्बन्ध में नया पदस्थापन आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसे में इतने अधिक समय तक अपीलार्थी को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखा जाना उचित नहीं माना जा सकता है।
11. उपर्युक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 06.10.2022 को अपास्त किया जाना उचित प्रकट होता है। अतः यह अपील इस आदेश के साथ निस्तारित की जाती है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 06.10.2022 को निरस्त माना जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी व निजी प्रत्यर्थी के सम्बन्ध में नये सिरे से पदस्थापन आदेश एक माह की अवधि में प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पारित करे।
12. मूल आदेश अपील संख्या 6403/2022 में एवं छाया प्रति अपील संख्या 2716/2022 में संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)